

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2654]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA 6, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

का.आ. 3500(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 कि.मी. से 179.285 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकुला को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 कि.मी. से 179.285 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल कनाल-मारला में (के. एम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	(1) यमुनानगर	(1) जगाधरी	(1) कलानौर ह.ब. न. 136	43//25	सरकारी/निजी	गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही	0-15
				54//5	सरकारी/निजी	गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही	0-18
				55//1	सरकारी/निजी	गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही	2-8
				9	सरकारी/निजी	गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही	0-5
				10	सरकारी/निजी	गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही	6
				11	निजी	चाही	2-5
				12	निजी	चाही	3-1
				18	निजी	चाही	1-3
				19	निजी	चाही	4-11
				20	निजी	चाही	0-1
				22	निजी	चाही	0-4
				23	निजी	चाही	3-17
				24	निजी	चाही	1-5
				188	सरकारी	गैर मु. रास्ता	0-15
				Path	सरकारी	गैर मु. रास्ता	0-1
				58//3	निजी	गैर मु. चौ.	0-5
				4	निजी	गैर मु. चौ.	5-1
				5	सरकारी	शमशान भूमि	3-0
				7	सरकारी	गैर मु. शमशान भूमि	0-8
				योग			36-3

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/एलए/पीआईयू-डीडीएन/2012]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

S.O. 3500(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway No. 73 on the stretch of land Km. 70.700 to Km. 179.285, in District Yamuna Nagar in the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Land Acquisition Officer, Panchkula, Haryana, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by orders, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 70.700 to Km. 179.285 of the National Highway No.73 in the state of Haryana.

Serial number	Name of district	Name of taluk	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in Kanal-Marla (in K-M)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Yamuna Nagar	(1) Jagadhari	(1) Kalanaur H.B. No. 136	43//25	Government/Private	Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi	0-15
				54//5	Government/Private	Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi	0-18
				55//1	Government/Private	Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi	2-8
				9	Government/Private	Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi	0-5
				10	Government/Private	Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi	6
				11	Private	Chahi	2-5
				12	Private	Chahi	3-1
				18	Private	Chahi	1-3
				19	Private	Chahi	4-11
				20	Private	Chahi	0-1
				22	Private	Chahi	0-4
				23	Private	Chahi	3-17
				24	Private	Chahi	1-5
				188	Government	Path	0-15
				Path	Government	Path	0-1
				58//3	Private	Gair Mu. Chau.	0-5
				4	Private	Gair Mu. Chau.	5-1
				5	Government	Shamshan Bhumi	3-0
				7	Government	Gair Mu. Shamshan Bhumi	0-8
				Total			36-3

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.